अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 28 सितंबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक–2346/म.प्र.वि.नि.आ./05– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) (जेड एफ) सहपठित धारा 62 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है;

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना प्रक्रिया) विनियम 2005 (वर्ष 2005 का क्रमांक जी–25)

अध्याय–1
सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक, आरंभ तथा प्रयोज्यत

(1) यह विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना प्रक्रिया) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(2) यह विनियम मध्यप्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) यह विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों को लागू होंगे।

2. परिभाषा

(1) जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, इन विनियमों में ;

(अ) ''अधिनिमय'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36 वर्ष 2003)

(ब) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी की गई है तथा जो माना गया अनुज्ञप्तिधारी है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम अथवा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001) आयोग द्वारा प्रकाशित अन्य किसी विनियम में परिभाषित किये गये हैं, वही अर्थ रखेंगे जैसा कि उन्हें क्रमशः अधिनियम, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 अथवा कतिपय अन्य किसी विनियम में नियत किया गया है।

3. व्याख्या

(1) इन विनियमों की व्याख्या हेतु, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न उपलबंध लागू होंगे।

(ए) एक–वचन अथवा बहुवचन संबंधी शब्दों में, यथा प्रसंग, क्रमशः बहुवचन अथवा एक वचन संबंधी शब्दों को भी सम्मिलित माना जावेगा;

(बी) शब्दों ''सम्मिलित'' अथवा ''सम्मिलित कर'' में के उपरांत शब्द ''बिना किसी परिसीमा के'' अथवा ''तक ही परीसिमित न होंगे'' जोड़े गये समझे जावेंगे, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि कतिपय इसी प्रकार के शब्दों को उसमें जोड़ा गया है अथवा नहीं ;

(सी) यहां ''विनियम'' से संबंधित दिये गये संदर्भों की व्याख्या आयोग द्वारा समय–समय पर इन विनियमों में किये गये संशोधनों अथवा सुधारों के अनुसार लागू किये गये प्रयोजित कानून के उपबंधों द्वारा की जावेगी;

(डी) शीर्षकों की अर्न्तस्थापना सुविधा की दृष्टि से की गई है तथा इन्हें विनियमों की व्याख्या की दृष्टि से मान्य नहीं किया जावेगा।

(ई) संस्थापित अधिनियमों, विनियमों अथवा दिये गये मार्गदर्शन की व्याख्या इन सभी अधिनियमों विनियम अथवा दिये गये मार्गर्शन के उपबंधों में किये गये समेकन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन अनुसार की जावेगी।

(2) जहां जहां अधिनियम के कतिपय भाग को उद्धरित किया जावेगा, मूल अधिनियम में कतिपय किये गये परिवर्तन/संशोधन स्वतः इस विनियम के अंतर्गत प्रभावशील माने जावेंगे।

अध्याय–2

4. टैरिफ एवं प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व हेतु प्रस्तुति

(1) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित वार्षिक राजस्व की जानकारी प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत करेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उतपादन कंपनी आयोग को टैरिफ तथा प्रभारों से सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि हेतु, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावेगा, नियंत्रण अवधि के आरंभ में प्रस्तुत करेगी तथा वार्षिक निष्पादन प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर से पूर्व तथा त्रैमासिक निष्पादन त्रैमास समाप्ति से एक माह के अंदर प्रतिवेदित करेगी। वित्तीय वर्ष को चार त्रैमासों में, अर्थोत् अप्रेल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर तथा जनवरी से मार्च में विभाजित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत त्रैमासिक तुलन पत्रक भी प्रकाशित करेंगे।

(3) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की प्रति त्रैमास ऐसी विधि से प्रस्तुत करेगी जिससे उसकी पिछले वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति प्रतिबिंबित हो। अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी प्लस 5 प्रतिशत या मायनस 5 प्रतिशत परिवर्तनों के कारण एवं भविष्य में अधिक परिवर्तन को टालने के लिये किये गये उपाय प्रस्तुत करेंगे।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास हेतु टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना चालू वर्ष की टैरिफ दर अनुसार, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावेगा, करेगी।

बशर्ते यदि विचाराधीन अवधि हेतु कतिपय आवेदन आयोग द्वारा अनुमोदित बहु–वर्षीय टैरिफ प्रचलन अवधि में हैं, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास हेतु टैरिफ एवं प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना उक्त अवधि हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त सिद्धांतों के अनुसार करेंगी।

(5) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी, टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की जानकारी के साथ, यह जानकारी भी प्रस्तुत करेगी जिसमें वह निम्न विधियां दर्शाई जावेगी जिसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं तथा टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व के अंतर की पूर्ति करेगी।

(6) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी यदि उपरोक्त अंतर की पूर्ति, टैरिफ अथवा प्रभारों के पुनरीक्षण द्वारा करने की इच्छा रखते हों, ऐसी दशा में वे आयोग को टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व संबंधी जानकारी के साथ एक उपयुक्त याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे जिसमें

उनके द्वारा आयोग को अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोज्य टैरिफ तथा प्रभारों के पुनरीक्षण पर विचार हेतु अनुरोध किया जावेगा।

5. परिशुद्धता

(1) जहां तक संभव हो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी राजस्व आवश्यकताओं के वार्षिक विवरण की गणना तथा टैरिफ एवं प्रभारों से राजस्व आकलन करते समय उपयुक्त वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक निर्धारण युक्ति–युक्त ढंग से करने की सावधानी रखेंगे।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा उपभोक्ता और/या अन्य अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की जा रही विद्युत प्रदाय बिन्दु पर स्थापित विनिर्दिष्ट गुणवत्ता तथा परिशुद्धता वाले उपयुक्त मापयंत्रों(मीटरों) के माध्यम से की जा रही है।
बशर्ते, यदि अनुज्ञप्तिधारी यदि उपभोक्ताओं को बिना उपयुक्त मीटरों को स्थापित किये विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू होने से पूर्व कर रहा है, ऐसी दशा में वह ऐसे प्रतिष्ठानों को मापयंत्रयुक्त अनुसार ऐसी पद्धति के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी त्रुटिपूर्ण मापयंत्र उपकरणों की नियतकालिक पहचान करने तथा त्रुटिपूर्ण मापयंत्र उपकरणों को प्रतिस्थापित करने हेतु योजनाएं, विद्युत के परिशुद्ध मापन की सुगम बनाने की दृष्टि से, विकसित करेंगे।

(ए) दक्षता में सुधार
(बी) व्यय में कमी
(सी) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी
(डी) ऊर्जा क्रय हेतु बेहतर प्रबंधन
(ई) अधिक राजस्व प्राप्ति हेतु ऊर्जा के विक्रय हेतु विपणन
(एफ) अन्य

अध्याय–3
प्रक्रिया

6. टैरिफ प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व

(1) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विक्रय पूर्वानुमान

(ए) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास हेतु विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान करेंगे तथा अवशेष अवधि के त्रैमासों हेतु इसका पूर्वानुमान उपयुक्त तथ्यों, उपभोक्ता संख्या के पूर्वानुमान तथा भार संबंधी रूपरेखा (प्रोफाईल) न्यायोचित कारणों सहित आगामी वर्ष की ऐतिहासिक प्रवृति तथा संभावित घटनाएं के दृष्टिगत तथा तकनीकी व वाणिज्यिक औचित्य एवं निर्धारण के सुसंगत सिद्धांतों के आधार पर पुनरीक्षित करेंगे।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी खुली पहुंच के उपभोक्ताओं को उसके व्यवसाय के अनुज्ञप्ति क्षेत्र अथवा अन्य कोई क्षेत्र जैसा कि उपयुक्त हो, हेतु विक्रय अथवा चक्रण (व्हीलिंग) का पूर्वानुमान आयोग द्वारा खुली पहुंच को प्रारंभ किये जाने वाली चरणबद्ध योजना के अनुसार करेंगे तथा तदनुसार उसके व्यवसाय के अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिवेदित करेंगे।

(सी) अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी, जहां तक प्रयोज्य हों, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी एवं व्यापारी (ट्रेडर) के मध्य, राज्य के भीतर अथवा बाहर, कतिपय उपयुक्त वाणिज्यिक

समझौतों के द्वारा विपुल विद्युत का विक्रय तथा राज्य के अन्दर ऐसी किसी व्यवस्था द्वारा विक्रय पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राक्कलित करेंगे।

(डी) ऐसे समय तक,जब तक 100 प्रतिशत मापयंत्रण (मीटरिंग) सुनिश्चित न हो जावे, अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी प्रतिवर्ष 15 जुलाई से पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदित अध्ययन परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक त्रैमास हेतु मौसमों के प्रभाव, भौगोलिक विषमताओं तथा अन्य कारणों को दृष्टिगत करते हुए विद्युत खपत/विक्रय का आकलन करेंगे।

(ई) यदि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी कम्पयूटरीकृत बिलिंग प्रणाली को प्रचलित कर रहे हों, ऐसी दशा में प्रणाली के सत्यापित तथा वैधीकृत आंकड़ों का उपयोग, विद्युत क्रय के पूर्वानुमान के आधार पर उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी, भार में वृद्धि/कमी आदि के प्रभाव से तत्संबंधी उचित वार्षिक संशोधनों को सम्मिलित कर, कर सकेंगे।

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी आयोग को ऐसा आंकड़ा आधार जिसमें उपभोक्ताओं की संख्या संयोजित भार/मांग, एतिहासिक खपत तथा अन्य आंकड़े जो भविष्य में विद्युत विक्रय हेतु उपयोग किये जावेंगे प्रस्तुत करेगी।

(जी) उत्पादन कंपनी आगामी वर्ष के प्रत्येक त्रैमास हेतु तथा चालू वर्ष की अवशेष अवधि के प्रत्येक त्रैमास हेतु उनके उपलब्धता तथा संभावित संयत्र लोड फैक्टर का पूर्वानुमान, आयोग द्वारा अनुमोदित ईंधन उपलब्धता, अनुसूचित संधारण तथा प्रचालन मापदण्डों के आधार पर, भी करेंगी।

(2) आगामी वर्ष हेतु विक्रय पूर्वानुमान पर आधारित टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;

(ए) अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी प्रत्याशित राजस्व का प्राक्कलन आगामी वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के विक्रय पूर्वानुमानों पर चालू वर्ष के प्रयोज्य टैरिफों की प्रयोज्य दर अनुसूचियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राक्कलित करेंगी।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी टैरिफों तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना वृत्त स्तर पर करेगा तथाा वृत्त स्तर प्रत्याशित राजस्व के जोड़ द्वारा क्षेत्रीय स्तर का निर्धारण करेगा जिसे आगे क्षेत्रीय स्तर के जोड़ द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट वर्ष के प्रत्येक त्रैमास का टैरिफों तथा प्रभारों से प्रत्याशित कुल राजस्व की गणना की जावेगी।

(सी) अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रभारों, चक्रण (व्हीलिंग) प्रभारों, राज्य प्रेषण केन्द्र प्रभारों (राज्य भार प्रेषण केन्द्र का अनुज्ञप्तिधारी का एकीकृत भाग होने की दशा में) में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी के लिए विचाराधीन प्रयोज्य अन्य कोई प्रभारों का आकलन करेगा।

(डी) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित स्थाई एवं ऊर्जा प्रभारों के साथ–साथ उपभोक्ताओं को लागू अन्य निबंधनों तथा शर्तो, जैसे दिन के समय (टाईम–आफ डे) प्रभारों, टैरिफ न्यूनतम प्रभारों तथा अन्य शर्तें जो उपभोक्ता को लागू हों पर भी विचार–विमर्श करेगा।

(ई) उत्पादन कंपनी, आयोग द्वारा अनुमोदित स्थाई एवं ऊर्जा प्रभारों के साथ साथ माने गये उत्पादन, तृतीय पक्षीय विक्रय, न्यूनतम लागत/योग्यता क्रम प्रेषण सूचना (मेरिट आर्डर डिस्पेच एडवाईस), गैर–अनुसूचित (यू आई) प्रभारों के तात्पर्य के प्रीााव तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों पर भी विचार विमर्श करेगी।

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी गैर–टैरिफ तथा अन्य विविध प्रभारों से राजस्व को जिसकी प्राप्ति आगामी अवधि में संभावित है प्रचलित दरों के आधार पर प्राक्कलित करेगी।

7. टैरिफ एवं प्रभारों से प्राक्कलित राजस्व के प्रस्तुतिकरण प्रपत्र

अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी, टैरिफ एवं प्रभारों से प्राक्कलित राजस्व, जिसकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा की गई हो, की प्रस्तुति इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों के अनुसार करेंगे।

8. विविध

(1) सूचना का उपयोग
आयोग को, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना का उपयोग करने का जैसा कि वह उचित समझे, उसके प्रकाशन द्वारा अथवा आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने और/या अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी को उनकी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश देने हेतु, का अधिकार सम्मिलित कर होगा।

(2) प्रति–परीक्षण एवं सत्यापन करने संबंधी अधिकार
आयोग को, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदाय टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना के रूप में प्राप्त भाग की सूचना का प्रति–परीक्षण एवं सत्यापन करने किसी भी समय जैसा कि आयोग उचित समझे का अधिकार होगा। आयोग अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा माने गये आंकड़े के परीक्षण एवं सत्यापन हेतु कतिपय सलाहकार नियुक्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी ऐसी समस्त सूचना जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में चाही जावेगी, उपलब्ध करायेंगे।

(3) संशोधन का अधिकार
आयोग इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किसी भी समय कोई परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।

(4) व्यावृत्ति

(ए) इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अंर्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में आयोग की प्रक्रियाओं के दोष को रोकन के लिए आवश्यक हों,

(बी) इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय के वर्ग को विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकगा जो इस संहिता की किसी भी प्रक्रिया या प्रावधान से भिन्न हों।

(सी) इन विनियमों में विशिष्ट या अंतर्गत, कुछ भी आयोग को किसी विषय या अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई संहिता नहीं बनाई गई हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों और कार्यों को उस प्रकार से जैसा वह उचित समझे निवर्तित कर सकेगा।

टीप :– इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना प्रक्रिया) विनियम, 2005 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही इसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

क्रमांक –2346 / म.प्र.वि.नि.आ. / 05 भोपाल, दिनांक –28.9.2005

प्रति,

उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रणालय,
भोपाल।

विषय :–अधिसूचना प्रकाशन के संबंध में।

–0–

विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) (जेड एफ) सहपठित धारा 62 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना प्रक्रिया) विनियम 2005 बनाया है। इस अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिपिबद्ध प्रतियां पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र भाग–4 (ग) में यथाशीघ्र प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। इस अधिसूचना की 800 प्रतियां कृपया आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(अशोक शर्मा)
उप सचिव